भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 243458

4 FEB 2010

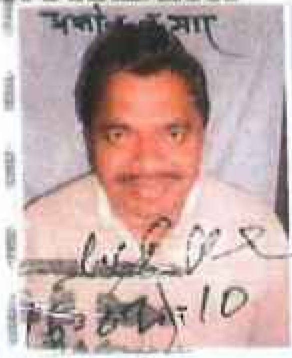

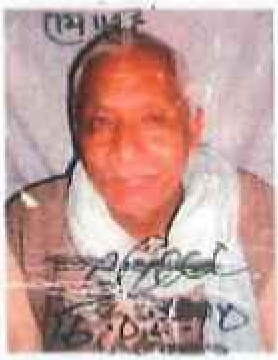

श्रीमती सुशीला यादव व श्रीमती किताबी देवी चेरीटेबिल ट्रस्ट, का ट्रस्टडीड

यह ट्रस्टडीड श्री अशोक कुमार यादव पुत्र श्री रामसिंह यादव निवासी बैंक कालोनी, शंकर टाकीज के पीछे, मैनपुरी ने (जो कि इस ट्रस्ट के गठन कर्ता है) द्वारा आज दिनांक 20.01.2010 को तैयार करके प्रस्तुत की गयी।

इस ट्रस्ट के गठनकर्ता श्री अशोक यादव इसका निर्माण इस उद्देश्य से कर रहें हैं कि शैक्षणिक एवं सामाजिक उत्थान एवं विकास के क्षेत्र में इस ट्रस्ट के माध्यम से सकारात्मक भूमिका का निर्वाह किया जा सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु गठनकर्ता द्वारा ट्रस्ट की परिसम्पत्ति के रुप में 50,000 (पचास हजार रुपये) एकत्रित किया है।

ट्रस्ट की नियमावली निम्नवत् है

1. ट्रस्ट का नाम : श्रीमती सुशीला यादव व श्रीमती किताबी देवी चैरीटेबिल ट्रस्ट

2. ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय : बैंक कालोनी मैनपुरी

3. ट्रस्ट के उद्देश्य निम्नांकित होगें :

4 FEB 2010

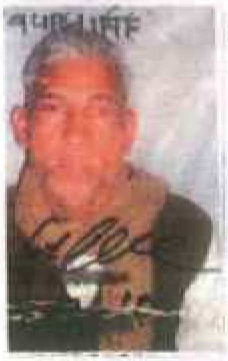

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH G 861096

1. स्कूलों, कॉलेजों एवं अन्य सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना। ये संस्थाऐं भारतीय संघ में किसी भी स्थान पर स्थापित की जा सकेंगी। जिनमें बिना किसी भेदभाव के सभी समुदायों के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जायेगी।
2. शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं विभिन्न प्रकार के तकनीकी पर आधारित शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु शिक्षण संस्थाओं का प्रबन्धन करना एवं सहयोग प्रदान करना।
3. नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं महाविद्यालय स्तरीय वाणिज्यिक, उद्योगिक, तकनीकी, व्यवसायिक एवं अन्य सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान करने हेतु आवश्यक संसाधन जुटाना एवं उनका समुचित प्रबन्ध करना।
4. आवश्यकतानुसार प्रत्येक स्तर की शिक्षण संस्थायें, स्कूल, कॉलेजों आदि संचालित करना एवं उनका प्रबन्धन करना।
5. छात्रों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अच्छे शिक्षक तैयार करने हेतु शिक्षक-प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना एवं उनका उचित प्रबंधन करना।
6. प्रौण शिक्षा के विस्तार हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित करना
7. स्कूली बच्चों, छात्रों एवं समाज के विभिन्न वर्गों के प्रेरणादायक प्रसंगों से अवगत कराने एवं उनके नैतिक, सामाजिक व मानसिक स्तर को ऊचा उटाने के उद्देश्य से बैठकों, भाषणों, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, सेमिनारों, सभाओं, अन्य प्रतियोगिताओ एवं शोधकार्यों, खेलकूद, दर्शनीय एवं पर्यटन स्थलों के भ्रमण कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, ऑडियों-वीडियो, सिनेमा प्रदर्शन कार्यक्रम आदि का आयोजन करना।
8. जनसामान्य के ज्ञान एवं बौद्धिक स्तर को ऊँचा उठाने के उद्देश्य से लाइब्रेरी, म्यूजियम व रीडिंग रुम आदि की स्थापना करना एवं उनमें जनोपयोगी पठन-पाठन व अन्य सामिग्री उपलब्ध कराना।
9. प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रव्रत्तियां, पारितोषक एवं निःशुल्क पुरुस्कार आदि उपलब्ध कराना एवं उनके विकाश के समुचित साधन उपलब्ध कराना।
10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुशार दान-अनुदान, सदस्यता शुल्क आदि ट्रस्ट के सदस्यों एवं अन्य व्यक्तियों व संस्थाओं से प्राप्त करना एवं विभिन्न कम्पनियों, फर्मों, सोसाइटियों, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से निर्धारित शर्तों पर ट्रस्ट के पक्ष में ऋण व पूँजी निवेश प्राप्त करना एवं ट्रस्ट की ओर से आवश्यक होने पर उक्त संस्थाओं में पूँजी निवेश करना।
11. समय-समय पर प्राकृतिक एवं दैवीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सामग्री जैसे भोजन, कपडे, दवायें, अस्थाई एवं स्थाई भवन उपलब्ध कराना।

जिला कारागार
मैनपुरी उ०प्र०
1 FEB 2010
मैनपुरी

लेख पत्र

50,000.00	300.00	20	320.00	500
	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

न्यास की प्रति
श्री अशोक कुमार यादव मै.ट्रस्टी
पुत्र श्री राम सिंह यादव
पेशा व्यापार
निवासी स्थायी बैंक कालोनी शहर मैनपुरी
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 16/2/2010 समय 11:59AM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
उप निबन्धक
मैनपुरी
16-2-2010

निष्पादन लेख पत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री अशोक कुमार यादव मै.ट्रस्टी
पुत्र श्री राम सिंह यादव
पेशा व्यापार
निवासी बैंक कालोनी शहर मैनपुरी

श्रीमति किरन यादव ज्वाइंट मै.ट्रस्टी
पत्नी श्री अशोक कुमार यादव
पेशा गृहिणी
निवासी बैंक कालोनी शहर मैनपुरी

श्री राम सिंह ट्रस्टी
पुत्र श्री नत्थू सिंह
पेशा व्यापार
निवासी बैंक कालोनी शहर मैनपुरी

श्री देवपाल सिंह ट्रस्टी
पुत्र श्री रज्जन लाल
पेशा कृषि
निवासी बुढ़िहानी ताखा जिला इटावा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH G 861094

4. ट्रस्ट के ट्रस्टीगण–

ट्रस्टी का नाम	पिता/पति/ का नाम	पता	आयु
1. श्री अशोक कुमार यादव	श्री रामसिंह यादव	बैंक कॉलोनी, मैनपुरी	40
2. श्रीमती किरन यादव	श्री अशोक कुमार यादव	बैंक कॉलोनी, मैनपुरी	30
3. श्री रामसिंह	श्री नत्थू सिंह	बैंक कॉलोनी, मैनपुरी	60
4. श्री देवपाल सिंह	श्री रज्जन लाल	सुटियानी, ताखा, इटावा	32
5. श्रीमती पुष्पा देवी	श्री देवपाल सिंह	सुटियानी, ताखा, इटावा	30

क– श्री अशोक कुमार यादव ट्रस्ट के मैंनेजिंग ट्रस्टी होगें व श्रीमती किरन यादव ट्रस्ट की ज्वांन्ट मैंनेजिंग ट्रस्टी होंगी तथा ये दोनो अपने–अपने पदों पर आजीवन बनें रहेंगे, जब तक कि इनमें से कोई स्वेच्छा से अपना पद त्याग नहीं करता है। यदि आकस्मिक रुप से अथवा स्वेच्छा से पद त्याग करने पर, मैंनेजिंग ट्रस्टी का पद रिक्त होता हैं तो ज्वांइन्ट मैंनेजिंग ट्रस्टी स्वतः मैंनेजिंग ट्रस्टी का रिक्त पद ग्रहण कर लेगा तथा यदि ज्वांइन्ट मैंनेजिग ट्रस्टी का पद रिक्त होता हैं तो शेष ट्रस्टीगण अपने में से मैंनेजिग ट्रस्टी/ज्वांइन्ट मैंनेजिंग ट्रस्टी को को–आप्ट कर लेंगे।

ख– अन्य ट्रस्टीगण में से दो–दो की संख्या में प्रति तीन वर्ष बाद रिटायर्ड होते रहेंगे। प्रथम दो ट्रस्टी इस ट्रस्ट के गठन की तिथि से तीन वर्ष बाद रिटायर्ड होगें। रिटायर हुए ट्रस्टीगण पुनः को–आप्ट किये जाने को अर्ह होगें।

ग– मेनेजिंग ट्रस्टी एवं जोइंन्ट मेनेंजिग ट्रस्टी अपनी इच्छा से किसी भी ऐसे व्यक्ति जो ट्रस्ट के उद्‌देश्यों की पूर्ति में सहायक हो सकें। ट्रस्ट को ट्रस्टी को–आप्ट कर सकेंगें।

घ– ट्रस्ट के समस्त ट्रस्टीगण की अधिकतम संख्या आठ से अधिक नहीं होगी।

5. प्रबंधन –

अ– ट्रस्ट के प्रबंन्धन एवं नियन्त्रण के पूर्ण अधिकार इसके ट्रस्टीगण में निहित होगें। ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की ओर से चल व अचल सम्पत्ति क्रय–विक्रय करने, ट्रस्ट के स्वामित्व की संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करने एवं कब्जा प्रदान करने, शिक्षण संस्थाओं के लिए व ट्रस्ट के लिए उपयोगी भवनों का निर्माण कराने, ट्रस्ट के हक में फण्ड, चल व अचल संपत्ति एवं पूजी निवेश की आवश्यकतानुशार व्यवस्था करने का पूर्ण अधिकार होगा।

ट्रस्टीगण का यह भी वैधानिक अधिकार होगा कि वे समय–समय पर ट्रस्ट के सुचारु प्रबंन्धन एवं प्रसासन हेतु आवश्यकतानुशार ट्रस्ट के नियमों व उपनियमों में परिवर्तन अथवा संसोधन करें अथवा नये नियमों/उपनियमों का निर्माण करें। प्रतिबंन्ध यह है कि ऐसे नियम व उपनियम आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 (15) – 11 से 13 एवं 80 जी के प्रावधानों के विपरीत न हों।

पुष्पा देवी

देवपाल सिंह

क्र०-1251 6-2-01

21 FEB 2010

[redacted]

श्रीमति पुष्पा देवी ट्रस्टी पुष्पा देवी
पत्नी श्री देवपाल सिंह
पेशा गृहिणी
निवासी सुदियानी ताखा जिला इटावा

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री सत्यवीर सिंह सत्यवीर सिंह
पुत्र श्री भगवान सिंह
पेशा कृषि
निवासी बढाहार मैनपुरी
व श्री गणेश यादव गणेश यादव
पुत्र श्री रामदास यादव
पेशा कृषि
निवासी अलीनगर ईलरा जिला फिरोजाबाद
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
उप निबन्धक
मैनपुरी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH G 861095

ब– ट्रस्ट के सुचारु प्रबंधन, आय–व्यय पर विचार करने एवं अन्य सभी प्रकार के मामलों के निस्तारण हेतु ट्रस्टीगण हेतु की अधिक से अधिक बैठकें आयोजित की जायेंगी। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि एक बर्ष में कम से कम तीन बैठकें आयोजित की जायेंगी।

स– ट्रस्ट की बैठकों का कोरम कम से कम तीन सदस्यों की उपस्थिति में पूर्ण होगा।

द– ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता मैंनेजिग ट्रस्टी द्वारा व मैंनेजिंग ट्रस्टी की अनुपस्थिति में ज्वांइन्ट मैंनेजिंग ट्रस्टी द्वारा की जायेगी। मैंनेजिग ट्रस्टी व ज्वांइन्ट मैंनेजिंग ट्रस्टी दोनो की अनुपस्थिति की स्थिति में किसी अन्य ट्रस्टी द्वारा अध्यक्षता की जायेगी। बैठकों में सभी निर्णय बहुमत के आधार पर होगें। तथा मतों की बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग किया जायेगा।

य– बैठकों की समस्त कार्यवाही इसके लिए निर्धारित कार्यवाही पुस्तिका में अंकित की जायेगी।

र– ट्रस्ट के आजीवन ट्रस्टीगण के अतिरिक्त अन्य ट्रस्टीगण में से जो ट्रस्टी लगातार तीन बैठकों में बिना कोई उचित कारण बताये तथा बिना पूर्व सूचना दिये अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी ट्रस्टी के रुप में सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी। परन्तु अन्य ट्रस्टीगण किसी उचित एवं विधिमान्य कारण के आधार पर ऐसे ट्रस्टी को उक्त प्रतिबंध से मुक्त कर सकते हैं।

ल– ट्रस्ट के प्रबंन्धन एवं प्रसासनिक मामलों पर ट्रस्टीगण में मत विभिन्नता होने की स्थिति में बहुमत का निर्णय मान्य होगा तथा यह सभी ट्रस्टीगण के लिए अनिवार्यता स्वीकार्य होगा।

6. ट्रस्टीगण के अधिकार–

1. ट्रस्ट के फन्ड का समुचित प्रबंधन करना तथा इससे होने वाली आय, लाभ एवं ब्याज को प्राप्त करना एवं उस पर होने वाले व्यय व अन्य देनदारियों का भुगतान करना।

2. ट्रस्टीगण उन सभी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत होंगे जो उन्हें विशेष रुप से प्रदान किये गये हो तथा जो ट्रस्ट के सुचारु संचालन में उपयोगी एवं हित साध्य हों।

3. ट्रस्ट की ओर से बैंक एकाउन्ट खोलने एवं संचालित करने हेतु मैंनेजिग ट्रस्टी एवं ज्वांइन्ट मैंनेजिग ट्रस्टी में से कोई एक अथवा दोनों ट्रस्टीगण द्वारा बैठक में लिए गये निर्णय के अनुशार अधिकृत होगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी शिक्षण संस्था अथवा अन्य संस्था का बैंक एकाउण्ट ट्रस्ट के मेनेजिंग ट्रस्टी, ज्वाइन्ट मैंनेजिग ट्रस्टी अथवा उस संस्था के प्रबंधक में से किसी एक के नाम से ट्रस्टीगण द्वारा बैठक में लिए गयें निर्णय के अनुसार खोला एवं संचालित किया जायेगा।

4. ट्रस्ट द्वारा अथवा ट्रस्ट के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों मे प्रस्तुत वादों की पैरवी, ट्रस्ट की संपत्ति के रख–रखाव एवं स्वामित्व की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ट्रस्टीगण का ही होगा। इस कार्य हेतु ट्रस्टीगण द्वारा मैंनेजिग ट्रस्टी, ज्वांइन्ट मैंनेजिग ट्रस्टी अथवा अन्य ट्रस्टी गण में से किसी एक या एक से अधिक को अधिकृत किया जायेगा।

1 FEB 2010

न्यासी

Registration No: 11 Year: 2,010 Book No.: 4

0101 अशोक कुमार यादव मै.ट्रस्टी

राम सिंह यादव
बैंक कालोनी शहर मैनपुरी
व्यापार

0102 किरन यादव ज्वाइंट मै.ट्रस्टी

अशोक कुमार यादव
बैंक कालोनी शहर मैनपुरी
गृहिणी

0103 राम सिंह ट्रस्टी

नत्थू सिंह
बैंक कालोनी शहर मैनपुरी
व्यापार

0104 देवपाल सिंह ट्रस्टी

[illegible]
[illegible] जिला इटावा
[illegible]

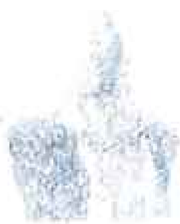

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 65AA 948671

4. ट्रस्ट द्वारा अथवा ट्रस्ट के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत वादों की पैरवी, ट्रस्ट की संम्पत्ति के रख–रखाव एवं स्वामित्व की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ट्रस्टीगण का ही होगा। इस कार्य हेतु ट्रस्टीगण द्वारा मैंनेजिग ट्रस्टी, ज्वांइन्ट मैंनेजिग ट्रस्टी अथवा अन्य ट्रस्टी गण में से किसी एक या एक से अधिक को अधिकृत किया जायेगा।

5. ट्रस्ट के ट्रस्टीगण इस ट्रस्टडीड द्वारा प्रदत्त की गयी शक्तियों व उत्तरदायित्वों के निर्बहन के अतिरिक्त इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत प्राविधानित उत्तरदायित्वों के निर्बहन हेतु भी प्रतिबंन्धित रहेंगे।

6. ट्रस्टीगण को, अपने विवेक से लिए गये सामूहिक निर्णय द्वारा ट्रस्ट की किसी भी अचल संम्पत्ति या संम्पत्तियों को जो उनके स्वत्वाधिकार में हैं, विकित करने एवं आवश्यक होने पर ट्रस्ट के पक्ष में चल व अचल संम्पत्ति को कय करने का पूर्ण अधिकार होगा। प्रतिबंन्ध यह हैं कि ट्रस्ट के कार्य संचालन की प्रकिया के अन्तर्गत किये गये कय–विकय से यदि ट्रस्ट को कोई हानि होती है तो उसको ट्रस्ट द्वारा ही वहन किया जायेगा। साथ ही इस प्रकार कियें गये प्रत्येक विकय से प्राप्त धनराशि को ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा किया जायेगा तथा कय किये जाने के लिए भुगतान हेतु वांछित धनराशि को ट्रस्ट के बैंक खाते से ही आहरित किया जायेगा।

7. ट्रस्टीगण किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी भारतीय अथवा विदेशी व्यक्ति या संस्था से स्वेछापूर्वक दिया गया दान, अंशदान, उपहार, मासिक/बार्षिक चंन्दा, डोनेशन आदि प्राप्त कर सकेंगे।

8. ट्रस्ट के समस्त लेख एवं आय–व्यय का विवरण लेखा–अभिलेखों में अंकित किया जायेगा। ट्रस्टीगण द्वारा प्रतिवर्ष 31 मार्च तक की समस्त प्राप्तियां एवं भुगतान, लेखों, आय–व्यय तथा बैंलेन्श सीट तैयार कराकर उसका किसी सुयोग्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से ऑडिट कराया जायेगा।

9. ट्रस्टीगण द्वारा समय–समय पर ट्रस्ट के कार्य संचालन हेतु कर्मचारियों तथा लेखालिपिक, कार्यालय सहायक व अन्य कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति की जायेगी। तथा उनके वेतन एवं भत्ते निर्धारित किये जायेगें। ऐसे कर्मचारियों को देय वेतन एवं भत्ते ट्रस्ट के फन्ड से ही भुगतान किये जायेगें।

10. ट्रस्टीगण समय–समय पर अपने बहुमत से लिए गये निर्णदानुशार ट्रस्ट की किसी भी संम्पत्ति या उसके अंश को बंन्धक करके अथवा बॉन्ड, डिवेनवर, रिसीट, प्रोमिजरी, नोट अथवा प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति रहित जैसा उचित समझे के द्वारा ट्रस्ट के लिए ऋण प्राप्त कर सकेंगे अथवा ऋण दे सकेंगे।

11. ट्रस्ट के सभी फन्ड आयकर अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों के अन्तार्गत ही प्रयुक्त किये जायेगे। यदि किन्हीं परिस्थितियों में ट्रस्ट को भंग अथवा समाप्त किया जाता हैं तो उसकी समस्त परिसंम्पत्तियां ट्रस्टीगण द्वारा लिये गये

21 JAN 2010

Registration 11

न्यासी

Year : 2,010 Book No.

0105 पुष्पा देवी ट्रस्टी

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10 भारत INDIA TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 65AA 948674

निर्णयानुशार या तो समान उद्देश्य वाले किसी अन्य ट्रस्ट, सोसाइटी अथवा संस्था को हस्तांतरित कर दी जायेगी अथवा ट्रस्टीगण में बाँट दी जायेगी।

अतः हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता ट्रस्टीगण ने यह ट्रस्टडीड आज दिनांक 20.01.2010 को तहरीर कर दी कि सनद रहे तथा वक्त जरुरत काम आवे।

साक्षियों के हस्ताक्षरः–

1. श्री सत्यवीर सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह
   ग्राम बडाहार, मैनपुरी
   सत्यवीर सिंह

2. श्री गणेश यादव पुत्र श्री रामदास यादव
   ग्राम अलीनगर कैंजरा, फिरोजाबाद
   गणेश यादव

हस्ताक्षर ट्रस्टीगण–

1. श्री अशोक कुमार यादव
2. श्रीमती किरन यादव
3. श्री रामसिंह
4. श्रीमती पुष्पा देवी
5. श्री देवपाल सिंह

पुष्पा देवी

देवपाल सिं.

1251
6-2-010

आज दिनांक **16/02/2010** को

बही सं. **4** जिल्द सं. **35**

पृष्ठ सं. **201** से **212** पर क्रमांक **11**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
उप निबन्धक
मैनपुरी
16/2/2010

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTT

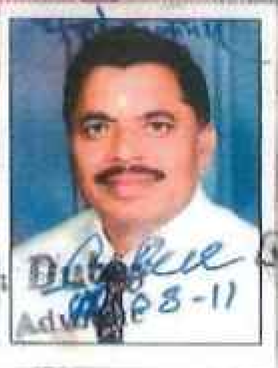

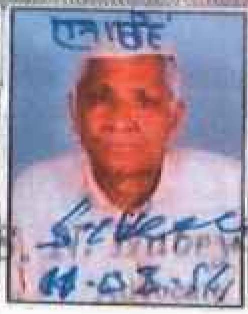

S. N. Dubey

Advocate

पूरकपत्र ट्रस्ट डीड

विदित हो कि श्री अशोक कुमार पुत्र श्री राम सिंह निवासी वैंक कालौनी निकट शंकर टाकीज मैनपुरी। ने दिनांक 16.02.2010 ई0 को श्रीमती सुशीला यादव व श्रीमती किताव देवी चेरिटेवल ट्रस्ट डीड का गठन कर पंजीकृत कराया जिसका पंजीयन दिनांक 16.02.2010 ई0 को वही संख्या 4 की जिल्द संख्या 35 के पृष्ठ 201 से 212 पर क्रमांक 11 पर हुआ।..................................

क्र 3114 [illegible]

1 MAR 2011

[illegible] L.B. [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH R 495625

4

ट्रस्ट के गठन कर्ता द्वारा ट्रस्ट की पूरी सम्पत्ति के रूप में 50,000/(पचास हजार) रूपया एकत्र किया गया जिस पर स्टाम्प व शुल्क अदा किया गया। उपरोक्त ट्रस्ट में – ट्रस्ट की नियमावली के साथ ट्रस्टीगण की संख्या तथा प्रवन्धन विधि व ट्रस्टीगण के अधिकारों तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों का तो स्पष्ट उल्लेख है किन्तु प्रतिबन्ध समबन्धी अनुच्छेत अवर्णित रहा जो.....

3118 / 4-3-011

[redacted]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AK 698925

कि ट्रस्ट के लिये हितकर नहीं है अतः दिनांक 09.03.2011 को ट्रस्ट की मीटिंग आहूत की गयी जिसमें उपरोक्त ट्रस्ट के ट्रस्टीगण की पूर्ण सहमति से यह निर्णय कि ट्रस्ट में निम्न लिखित प्रतिवन्ध भी ट्रस्ट में समाहित किये जावें ताकि डा0 किरन सौजिया सीनियर सैकेन्डरी एजूकेशन एकेडमी कुरावली रोड मैनपुरी– के संचालन हेतु सी0 वी0 एस0 ई0 वोर्ड नई दिल्ली से एफीलेशन हेतु एन0 ओ0 सी0 के लिये निम्न प्रतिवन्ध समाहित करना आवश्यक है..

21 FEB 2011

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AK 698926

अतः प्रतिवन्धों सहित हो उपरोक्त ट्रस्ट को पढा व समझा जावे यह प्रलेख ट्रस्ट डीड दिनांक 16.02.2010 ई0 का पूरक समझा जावे प्रतिवन्ध निम्न लिखित है।

(क)–विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा। हाँ / नहीं

(ख)–विद्यालय के प्रवन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा। हाँ / नहीं

पुष्पा दे. वी देवपाल सिंह

न्यासी

Registration No.: 19 Year : 2,011 Book No. : 4

0101 अशोक कुमार मैनेजिंग ट्रस्टी

रामसिंह

बैंक कालोनी निकट शंकर टाकीज शहर मैनपुरी

व्यापार

0102 किरन यादव ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी

अशोक कुमार यादव

बैंक कालोनी निकट शंकर टाकीज शहर मैनपुरी

गृहिणी

0103 रामसिंह ट्रस्टी

नत्थू सिंह

बैंक कालोनी शहर मैनपुरी

व्यापार

0104 पुष्पा देवी ट्रस्टी

देवपाल सिंह

सुठियानी खास, जिला इटावा

गृहिणी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AK 698927

(ग)–विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के मैधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगें और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्ष परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

हाँ/नहीं

(घ)–संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्वद्धता सैण्ट्रल वोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एकजामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त

पुष्पा देवी देवपालसिंह

न्यास पत्र

	500.00	20	520.00	800
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री अशोक कुमार मैनेजिंग ट्रस्टी

पुत्र श्री रामसिंह

व्यवसाय व्यापार

निवासी स्थायी बैंक कालोनी निकट शंकर टाकीज शहर मैनपुरी

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 11/3/2011 समय 1:28PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रामप्रकाश
उप-निबन्धक,
मैनपुरी
11/3/2011

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री अशोक कुमार मैनेजिंग ट्रस्टी
पुत्र श्री रामसिंह
पेशा व्यापार
निवासी बैंक कालोनी निकट शंकर टाकीज शहर मैनपुरी

श्रीमती किरन यादव ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी
पत्नी श्री अशोक कुमार यादव
पेशा गृहिणी
निवासी बैंक कालोनी निकट शंकर टाकीज शहर मैनपुरी

श्री रामसिंह ट्रस्टी
पुत्र श्री नत्थू सिंह
पेशा व्यापार
निवासी बैंक कालोनी शहर मैनपुरी

श्रीमती पुष्पा देवी ट्रस्टी
पत्नी श्री देवपाल सिंह
पेशा गृहिणी
निवासी सुटियानी ताखा जिला इटावा।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AK 698928

होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्वद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्ता हो जायेगा। हाँ / नहीं

(ड़)–संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे। हाँ / नहीं

पुष्पा देवी देवपाल सिंह

श्री [illegible]पाल सिंह ट्रस्टी
पुत्र श्री रज्जन लाल
पेशा व्यापार
निवासी सुदियानी ताखा जिला इटावा

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री सत्यवीर सिंह
पुत्र श्री भगवान सिंह
पेशा व्यापार
निवासी बडाहार कल्होर तह0 व जिला मैनपुरी
व श्री रनवीर सिंह
पुत्र श्री राधेश्याम
पेशा व्यापार
निवासी लुहारी पो0 ओन्हा तह0 करहल जिला मैनपुरी
ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रामऔतार
उप-निबन्धक,
मैनपुरी
11/3/2011

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AK 698929

(च)–कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

हाँ / नहीं

पुष्पा देवी देवपाल सिंह

न्यासी

Registration No.: 19 Year : 2,011 Book No. : 4

0105 देवपाल सिंह ट्रस्टी

रज्जन लाल

सुटियानी साखा जिला इटावा

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

06AB 515051

(छ)–राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी। हाँ / नहीं

(ज)– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र / पंजिकाओं में रखा जायेगा यदि हाँ तो कृपया प्रबन्धाधिकरण का इस आशय का......

पुष्पा देवी देवपाल सिंह

[redacted]

न्यासी

Registration No.: 19 Year : 2,011 Book No. : 4

0105 देवपाल सिंह ट्रस्टी

रज्जन लाल

शुटियानी ताखा जिला इटावा

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

06AB 515052

प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिवन्ध क्रम 1 से 8 तक स्वीकार हैं। हाँ/नहीं

हस्ताक्षर ट्रस्टीगण

साक्षी–1– सत्यवीर सिंह पुत्र श्री भगवान

साक्षी–2–

[redacted]

आज दिनांक **11/03/2011** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **38**

पृष्ठ सं. **155** से **172** पर कमांक **19**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रामऔतार
उप-निबन्धक,
मैनपुरी
11/3/2011

47 N

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

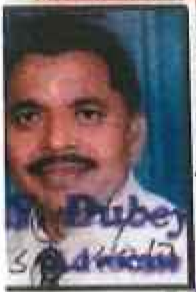

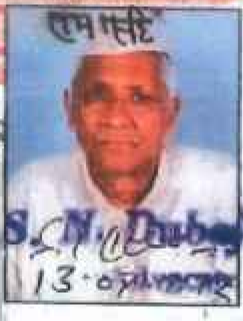

देश UTTAR PR

AC 571408

संशोधित पूरकपत्र ट्रस्ट डीड

विदित हो कि श्री अशोक कुमार पुत्र श्री राम सिंह निवासी बैंक कालौनी निकट शंकर टाकीज मैनपुरी। ने दिनांक –16/02/2010– ई0 को श्रीमती सुशीला यादव व श्रीमती किताव देवी चेरिटेवल ट्रस्ट डीड का गठन कर पंजीकृत कराया जिसका पंजीयन दिनांक –16/2022/2010– ई0 को वही संख्या–4–की जिल्द संख्या–35–के पृष्ठ–201–से–212–पर क्रमांक–11–पर हुआ। ट्रस्ट के गठन कर्ता द्वारा ट्रस्ट की पूरी सम्पत्ति के रूप में –50,000/(पचास हजार) रूपया एकत्र किया गया जिस पर स्टाम्प व शुल्क अदा किया गया। उपरोक्त ट्रस्ट में–ट्रस्ट की नियमावली के साथ ट्रस्टीगण की संख्या तथा प्रवन्धन विधि व ट्रस्टीगण के अधिकारी तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों का तो स्पष्ट उल्लेख है किन्तु प्रतिबन्ध समबन्धी

क्र 595
13-7-012

जिला कोषागार
मैनपुरी 09/0
25 JUN 2012
रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया
मैनपुरी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AB 101032

अनुच्छेत अवर्णित रहा जो कि ट्रस्ट के लिये हितकर नहीं है अतः दिनांक –09/03/2011– को ट्रस्ट की मीटिंग आहूत की गयी जिसमें उपरोक्त ट्रस्ट के ट्रस्टीगण की पूर्ण सहमति से यह निर्णय कि ट्रस्ट में निम्न लिखित प्रतिवन्ध भी ट्रस्ट में समाहित किये जावें ताकि डा0 किरन सौजिया सीनियर सैकेन्डरी एजूकेशन एकेडमी कुरावली रोड मैनपुरी– के संचालन हेतु सी0 वी0 एस0 ई0 वोर्ड नई दिल्ली से एफीलेशन हेतु एन0 ओ0 सी0 के लिये निम्न प्रतिवन्ध समाहित करना आवश्यक है अतः प्रतिवन्धों सहित हो उपरोक्त ट्रस्ट को पढा व समझा जावे यह प्रलेख ट्रस्ट डीड दिनांक–16/02/2010–ई0 का पूरक समझा जावे प्रतिवन्ध निम्न लिखित है। जो ट्रस्ट के ट्रस्टियों को भी स्वीकार व मान्य हैं। ट्रसटियों की सूची निम्नवत् है

13-6-012

11 JUN 2012
रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया
मैनपुरी

दुबे
L.No.
मैनपुरी

सत्यमेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AB 101033

1– श्री अशोक कुमार पुत्र श्री राम सिंह निवासी बैंक कालौनी निकट शंकर टाकीज मैनपुरी।..मैनेजिंग ट्रस्टी

2– श्रीमती किरन यादव पत्नी श्री अशोक कुमार यादव निवासी बैंक कालौनी निकट शंकर टाकीज मैनपुरी।..जोइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी

3– श्री राम सिंह पुत्र श्री नत्थू सिंह निवासी बैंक कालौनी मैनपुरी। ....ट्रस्टी

4– श्री देवपाल सिंह पुत्र श्री रज्जन लाल निवासी सुद्धियानी ताखा इटावा।....ट्रस्टी

5–श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री देवपाल सिंह निवासी सुद्धियानी ताखा इटावा।..ट्रस्टी

(क)–विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा। हाँ / नहीं

(ख)–विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा। हाँ / नहीं

देवपाल

3

यास पत्र

100.00	20	120.00	800
फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

न्यास की राशि

श्री अशोक कुमार मैनेजिंग ट्रस्टी

पुत्र श्री राम सिंह

व्यवसाय व्यापार

निवासी स्थायी बैंक कालौनी निकट शंकर टाकीज शहर मैनपुरी

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 13/7/2012 समय 3:36PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रामऔतार
उप-निबन्धक, सदर
मैनपुरी
13/7/2012

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री अशोक कुमार मैनेजिंग ट्रस्टी
पुत्र श्री राम सिंह
पेशा व्यापार
निवासी बैंक कालौनी निकट शंकर टाकीज शहर मैनपुरी

श्रीमती किरन यादव ज्वाइन्ट मै.ट्रस्टी
पत्नी श्री अशोक कुमार यादव
पेशा गृहिणी
निवासी बैंक कालौनी निकट शंकर टाकीज शहर मैनपुरी

श्री राम सिंह ट्रस्टी
पुत्र श्री नत्थू सिंह
पेशा कृषि
निवासी बैंक कालौनी शहर मैनपुरी

श्री देवपाल सिंह ट्रस्टी
पुत्र श्री रज्जन लाल
पेशा कृषि
निवासी सुटियानी साखा जिला इटावा

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AB 101034

(ग)–विद्यालय में कम से कम–10–प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के मैधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगें और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्ष परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा। हाँ/नहीं

(घ)–संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्वद्धता सैण्ट्रल वोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्वद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्ता हो जायेगा। हाँ/नहीं

श्रीमती पुष्पा देवी ट्रस्टी
पत्नी श्री वेदपाल सिंह
पेशा गृहिणी
निवासी सुटियानी ताखा जिला इटावा

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह
पुत्र श्री हाकिम सिंह
पेशा व्यापार
निवासी राजा का बाग शहर मैनपुरी
व श्री विनय दुबे एड0
पुत्र श्री
पेशा वकालत
निवासी कलक्ट्री परिसर मैनपुरी
ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रामऔतार
उप-निबन्धक, सदर
मैनपुरी
13/7/2012

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AB 101035

(ड़)—संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे। हाँ / नहीं

(च)—कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे। हाँ / नहीं

(छ)—राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी। हाँ / नहीं

L No. 51

न्यासी

Registration No.: 49 Year : 2,012 Book No. : 4

0101 अशोक कुमार मैनेजिंग ट्रस्टी

राम सिंह

बैंक कालौनी निकट शंकर टाकीज शहर मैनपुरी

व्यापार

0102 किरन यादव ज्वाइन्ट मै.ट्रस्टी

अशोक कुमार यादव

बैंक कालौनी निकट शंकर टाकीज शहर मैनपुरी

गृहिणी

0103 राम सिंह ट्रस्टी

नत्थू सिंह

बैंक कालौनी शहर मैनपुरी

कृषि

0104 देवपाल सिंह ट्रस्टी

रज्जन लाल

सुटियानी ताखा जिला इटावा

कृषि

0105 पुष्पा देवी ट्रस्टी

देवपाल सिंह

सुटियानी ताखा जिला इटावा

गृहिणी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AB 101036

(ज)–विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा। हाँ/नहीं

(झ)–उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा –105– से –107– के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के क्षात्रों को अनुमन शुल्क मुक्ति संस्था के क्षात्रों को प्रदान की जावेगी।

(ड़)–उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जावेगा यदि हाँ तो कृपया प्रबन्धाधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिवन्ध क्रम –1– से –10– तक स्वीकार हैं। हाँ/नहीं

आज दिनांक 13/07/2012 को

वही सं. 4 जिल्द सं. 43

पृष्ठ सं. 195 से 208 पर कमांक 49

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रामऔतार

उप-निबन्धक, सदर

मैनपुरी

13/7/2012

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AB 101037

इस प्रलेख के बाद अन्य कोई पूरक पत्र अनुमन्य नहीं होगा।

हस्ताक्षर ट्रस्टीगण

साक्षी–1–श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री हाकिम सिंह निवासी राजा का वाग मैनपुरी।

साक्षी–2–श्री विनय दुबे एडवोकेट कलक्ट्रेट परिसर मैनपुरी।

आज दिनांक 13/07/2012 को

वही सं. 4 जिल्द सं. 43

पृष्ठ सं. 195 से 208 पर कमांक 49

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रामऔतार

उप-निवन्धक, सदर

मैनपुरी

13/7/2012

10001/2024

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

सत्यमेव जयते

e-Stamp

IN-UP18908880866350W

10001
2-24

AMARDEEP
Stamp Vendor
Licence No :- 168
E-Stamp ACCID-UP14111004
Tehsil- Collectorate, Mainpuri

Certificate No.	:	IN-UP18908880866350W
Certificate Issued Date	:	22-Jul-2024 10:50 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14111004/ MAINPURI/ UP-MNP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14111004343081465559385W
Purchased by	:	ASHOK KUMAR SO RAM SINGH AND OTHER
Description of Document	:	Article 19 Certificate or other Document
Property Description	:	FOR TRUST (SUPPLEMENTARY)
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	ASHOK KUMAR SO RAM SINGH
Second Party	:	ASHOK KUMAR SO RAM SINGH AND OTHER
Stamp Duty Paid By	:	ASHOK KUMAR SO RAM SINGH AND OTHER
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

सत्यमेव जयते

IN-UP18908880866350W

Please write or type below this line

देवपाल

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

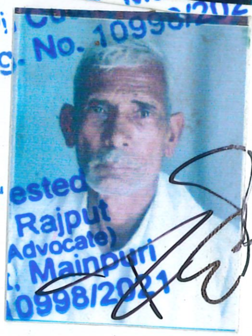

ईस्टाम्प नं0— **IN-UP18908880866350W**

पूरकपत्र

स्टाम्प—100रू0

पर्त—5

हम कि अशोक कुमार पुत्र श्री राम सिंह निवासी बैंक कॉलौनी शंकर टाकीज जिला मैनपुरी। मो0नं0—9720780000 (जो कि इस ट्रस्ट के गठन कर्ता हैं) व ट्रस्ट के ट्रस्टीगण 1. अशोक कुमार पुत्र श्री राम सिंह निवासी बैंक कॉलौनी शंकर टाकीज जिला मैनपुरी व 2. श्री देवपाल सिंह पुत्र स्व0 रज्जन लाल निवासी सुतयानी ताखा जिला इटावा।

Photo A...ed
By Roh... ...put
...ocate)
...ainpuri
Civil C...
Reg. No. 10998/2021

Rohit Rajput
(Advocate)
Civil Court, Mainpuri
Reg. No. 10998/2021
Mob. 8218071811

...उप रजिस्ट्रार मैन...

2 ईस्टाम्प नं0– **IN-UP18908880866350W**

विदित हो कि इन सभी लोगों ने एक ट्रस्ट दिनांक 20/01/2010 को गठन किया जिसका नाम श्रीमती सुशीला यादव व श्रीमती किताबी देवी चेरीटेबिल ट्रस्ट बैंक कॉलौनी मैनपुरी की एक ट्रस्ट 20/01/2010 लिखी गयी और इस ट्रस्ट की रजिस्ट्री 16/10/2010 को बही संख्या 4 जिल्द संख्या 35 के पृष्ठ संख्या 201 से 212 पर क्रमांक 11 पर उपनिबन्धक सदर मैनपुरी में रजिस्ट्री सम्पन्न हुयी और इस ट्रस्ट का एक पूरक पत्र दिनांक 11/03/2011 को लिखा गया और इस पूरकपत्र की रजिस्ट्री तद् दिनांक 11/03/2011 को बही संख्या 4 जिल्द संख्या 38 के पृष्ठ संख्या 155 से 172 पर क्रमांक 19 पर उपनिबन्धक सदर मैनपुरी में सम्पन्न हुयी। । फिर इसी पूरकपत्र में एक संशोधित पूरकपत्र ट्रस्ट डीड दिनांक 13/07/2012 को लिखा गया

आवेदन सं०: 202400775013108

शुद्धिपत्र

बही स०: 1	**रजिस्ट्रेशन स०: 10001**	**वर्ष: 2024**

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 100 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 40 योग : 140

श्री अशोक कुमार ,
पुत्र श्री राम सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: बैंक कालौनी शंकर टाकीज जिला मैनपुरी

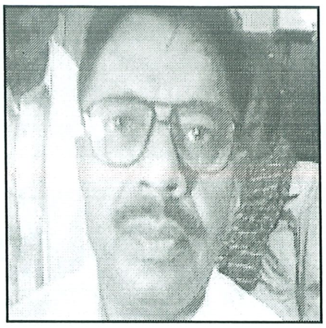

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 22/07/2024 एवं
01:50:08 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वीरेन्द्र बहादुर स्वर्णकार
उप निबंधक :सदर
मैनपुरी
22/07/2024

अवनीन्द्र कुमार सिंह
निबंधक लिपिक
22/07/2024

प्रिंट करें

3 ईस्टाम्प नं0— **IN-UP18908880866350W**

जिसकी रजिस्ट्री तद् दिनांक 13/07/2012 बही संख्या 4 जिल्द 43 के पृष्ठ संख्या 195 से 208 पर क्रमांक 49 उपनिबन्धक सदर मैनपुरी में सम्पन्न हुयी। इस संशोधित पूरकपत्र ट्रस्ट डीड में भूलवश पृष्ठ संख्या 7 में एक लाइन ''इस प्रलेख के बाद अन्य कोई पूरक पत्र अनुमन्य नहीं होगा'' लिख गया। इस लाइन की जगह ''(ट) विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है तथा भविष्य में भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जायेगी।'' लिखना था अतः यह लाइन ट्रस्ट डीड का भाग ही माना जाये। इसके अलावा संशोधित पूरकपत्र में और कोई भी संशोधन नहीं किया गया है यह कि ट्रस्ट की शर्त के अनुसार आज दिनांक 22/07/2024 को तीन सदस्यों श्रीमती किरन यादव व राम सिंह व श्रीमती पुष्पा देवी के द्वारा अपनी स्वेच्छा से दिये गये त्याग पत्र (जो पूर्व में मंजूर कर लिये गये थे) स्वीकार होने के कारण मात्र दो सदस्य डा0 अशोक कुमार(मेनेजिंग ट्रस्टी) व देवपाल (सदस्य) के रूप कार्यभार संभाल रहे है। अतः ख़ूब सोच समझकर यह पूरकपत्र ट्रस्टीगण के द्वारा तहरीर व तकमील करवा दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

आवेदन सं०: 202400775013108

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 10001 वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

प्रथम पक्ष: 1

श्री अशोक कुमार, पुत्र श्री राम सिंह

निवासी: बैंक कालौनी शंकर टाकीज जिला मैनपुरी

व्यवसाय: अन्य

द्वितीय पक्ष: 1

श्री अशोक कुमार, पुत्र श्री राम सिंह

निवासी: बैंक कालौनी शंकर टाकीज जिला मैनपुरी

व्यवसाय: अन्य

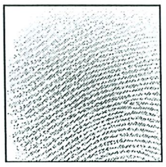

द्वितीय पक्ष: 2

श्री देवपाल सिंह, पुत्र श्री स्व0 रज्जन लाल

निवासी: सुतयानी ताखा जिला इटावा

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री उमंग श्रीवास्तव , पुत्र श्री संतवख्श श्रीवास्तव

निवासी: पंजाबी कालौनी शहर व जिला मैनपुरी

व्यवसाय: अन्य

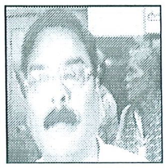

पहचानकर्ता : 2

श्री रोहित राजपूत , एडवोकेट

निवासी: सिविल कोर्ट मैनपुरी

व्यवसाय: वकालत

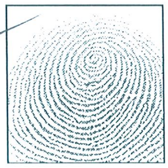

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वीरेन्द्र बहादुर स्वर्णकार
उप निबंधक : सदर
मैनपुरी
22/07/2024

4 ईस्टाम्प नं0— **IN-UP18908880866350W**

इति तहरीर तारीख 22.07.2024 मसौदाकर्ता रोहित राजपूत एडवोकेट सिविल कोर्ट मैनपुरी। मो0नं0—8218071811

Rohit Rajput
(Advocate)
Civil Court, Mainpuri
Reg. No. 10998/2021
Mob. 8218071811

गवाह 1. उमंग श्रीवास्तव पुत्र श्री संतवख्श श्रीवास्तव निवासी पंजाबी कॉलौनी शहर व जिला मैनपुरी। आधार कार्ड के अन्तिम चार अंक— 4207

गवाह 2— रोहित राजपूत एडवोकेट सिविल कोर्ट मैनपुरी।

Rohit Rajput
(Advocate)
Civil Court, Mainpuri
Reg. No. 10998/2021
Mob. 8218071811

आवेदन सं०: 202400775013108

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 10762 के पृष्ठ 217 से 226 तक क्रमांक 10001 पर दिनाँक 22/07/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वीरेन्द्र बहादुर स्वर्णकार
उप निबंधक : सदर
मैनपुरी
22/07/2024